

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2021–22

विभाग का नाम: महिला कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्ताविक प्रमुख एस.डी.जी.—1
(धनराशि लाख रु में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले 2021–22		1.4.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2021 की सम्पादित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	महिला कल्याण के अन्तर्गत महिलाओं/किशोरों हेतु संचालित संस्थाओं/ कार्यालयों व किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति / अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम /किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर समीक्षा/मार्ग दर्शन	356.18	0	13 कार्यालय	13 कार्यालय	राज्य के समस्त 13 जनपदों में विभागीय कार्यालयों का सफल संचालन किया जायेगा।	महिला व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2022
2	बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	विधि विवादित किशोर/किशोरियों हेतु कोर्ट बोर्ड की स्थापना के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण	40.91	0	07 कार्यालय	07 कार्यालय	राज्य के 07 जनपदों में बाल कल्याण बोर्ड बोर्ड के कार्यालयों का सफल संचालन होगा।	विधि विरुद्ध श्रेणी के बच्चों व उनके परिवादों को त्वरित न्याय मिलेगा।	31 मार्च, 2022
3	संस्थाओं/गृहों का संचालन	18 वर्ष के जरूरतमन्द किशोर/ किशोरियों तथा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं हेतु गृहों का संचालन करते हुए संवासियों को आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।	894.13	0	09 संस्थाएं	09 संस्थाएं	उत्तराखण्ड में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं व महिला गृहों का सफल संचालन होगा।	महिला बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2022
4	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन	वर्तमान में लागू नहीं है। कूड़ा बीनने वाले/मिक्षा वृत्ति में लगे किशोरों हेतु आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं फिलहाल बाल संरक्षण सेवाएं योजना में ओपन शेटर के माध्यम से प्रदान की जाती है।	0.02	0	0	0	योजना लागू नहीं है।	योजना लागू नहीं है।	31 मार्च, 2022
5	किशोर न्याय निधि की स्थापना	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 105 के अन्तर्गत जरूरतमन्द किशोर/किशोरियों के पुनर्वासन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	10.01	0	0	0	उत्तराखण्ड में किशोर न्याय निधि का सफल संचालन	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2022
6	महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना	महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु	0.02	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	उत्तराखण्ड में महिलाओं के संरक्षण हेतु योजनाओं का मूल्यांकन	उत्तराखण्ड की महिला संरक्षण के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2022

7	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अधीन उद्वार संगठन	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महिलाओं के पुनर्वासन हेतु मण्डल स्तर पर कार्यालयों की स्थापना	11.51	0	2 अधिष्ठान	2 अधिष्ठान	महिला संरक्षण हेतु दो अधिष्ठानों का सफल संचालन किया जायेगी।	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2022
8	मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन करते हुए उन्हें आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, प्रशिक्षण मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।	167.74	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक), देहरादून का सफल संचालन	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी	31 मार्च, 2022
9	विभिन्न विभागीय अन्तर्वासियों का पुनर्वासन	राजकीय महिला गृहों से मुक्त होने पर महिला को पुनर्वासन हेतु कौशल्या डबराल संवासिनी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल रु 21000/- प्रदान किये जाते हैं।	5.00	0	5	5	महिला गृहों से मुक्त होने पर 10 महिलाओं को पुनर्वासन किया जायेगी।	महिला संरक्षण व आजीविका के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2022
10	महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	वर्तमान में लागू नहीं है।	0.02	0	0	0	योजना लागू नहीं है।	योजना लागू नहीं है।	31 मार्च, 2022
11	परिवीक्षा सेवा मुख्यालय	महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिलाओं/किशोरों की योजनाओं की राज्य में निदेशालय स्तर से समीक्षा/मार्ग दर्शन	95.57	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	महिला कल्याण निदेशालय के माध्यम से महिला व बाल संरक्षण की विभागीय योजनाओं का सफल संलचान किया जायेगी।	महिला व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2022
12	मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों एवं महिलाओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक) देहरादून में निवासरत मानसिक रूप से विक्षिप्त सवासिनयों की समुचित देखरेख हेतु स्वैच्छिक संस्था को सहायता	60.00	0	129	129	महिला कल्याण व पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक) देहरादून का सफल संचालन	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी	31 मार्च, 2022
13	बाल संरक्षण योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 10 प्रतिशत राज्यांश	भारत सरकार द्वारा पुरोन्धनित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के किशोर/किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यालय/संस्थाओं का संचालन	1350.01	0	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाएं	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाएं	निदेशालय महिला कल्याण व समस्त 13 जनपदों के स्तर पर बाल संरक्षण योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2022

14	बाल संरक्षण योजना 10 प्रतिशत राज्यांश	भारत सरकार द्वारा पुरोनीधानित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के किशोर/किशोरियों की देख—रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यालय/संस्थाओं का संचालन	157.50	0	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाए	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाए	निदेशालय महिला कल्याण व समस्त 13 जनपदों के स्तर पर बाल संरक्षण योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2023
15	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण	वर्तमान में लागू नहीं है।	0	0.01	0	0	योजना लागू नहीं है।	योजना लागू नहीं है।	31 मार्च, 2023
16	10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों हेतु गृहों का निर्माण कराया जाता है।	0	50.00	1	1	उत्तराखण्ड की समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में समुचित आवासीय सुविधायें उपलब्ध होगी।	बच्चों के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2023
17	किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण	किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेशरत किशोर/किशोरियों हेतु आवासीय गृहों का निर्माण	0	100.00	3	3	उत्तराखण्ड की समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में समुचित आवासीय सुविधायें उपलब्ध होगी।	बच्चों के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2023
18	18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण	किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओं हेतु उत्तर रक्षा गृहों का आवासीय निर्माण	0	200.00	1	1	जनपद अल्मोड़ा में उत्तर रक्षा गृह (बालिका) का निर्माण पूर्ण कर संचालन किया जायेगा।	निराश्रित बालिकाओं के संरक्षण व पुनर्वासन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2023
19	बाल संरक्षण योजना हेतु गृहों का निर्माण, 90 प्रतिशत केन्द्रांश ,	0 से 18 आयु वर्ग के जरूरतमन्द एवं आवश्यकता वाले किशोर/किशोरियों की देख—रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्थाओं का निर्माण	0	150.01	0	0	चार बाल देखरेख संस्थाओं का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।	संस्थानिक बाल देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2023
20	बाल संरक्षण योजना हेतु गृहों का निर्माण, 10 प्रतिशत राज्यांश, निर्माण	0 से 18 आयु वर्ग के जरूरतमन्द एवं आवश्यकता वाले किशोर/किशोरियों की देख—रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्थाओं का निर्माण	0	52.50	0	0	चार बाल देखरेख संस्थाओं का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।	संस्थानिक बाल देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2022
	अनुदान संख्या—15 का योग		3148.62						
	अनुदान संख्या—30								
21	राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश	उज्जवला एवं अनैतिक व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं की निगरानी एवं दिशा निर्देश हेतु राज्य स्तर पर कार्यालय/अधिष्ठान	36.06	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	उत्तराखण्ड समाज कल्याण बोर्ड के राज्य स्तरीय कार्यालय का सफल संचालन किया जायेगा।	महिलाओं व बच्चों की सांस्थानिक देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2022
	अनुदान संख्या—30 का योग		36.06	0					
	अनुदान संख्या—15 एवं 30 का योग		3184.68	552.52					